

फोन/Phone: 91-22-6656 5656

ई-मेल/Email: manager.hr@mumbaiport.gov.in

वेबसाईट/Website: www.mumbaiport.gov.in



मुंबई पोर्टन प्राधिकरण  
Mumbai Port Authority

सामान्य प्रशासन विभाग

पोर्ट भवन, दूसरा माला

शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट,

मुंबई - 400 001.

General Administration  
Department,  
Port House, 2<sup>nd</sup> floor,  
S.V. Marg, Ballard Estate,  
MUMBAI - 400 001.

No. GAD/P/RECT-RM/ 1024

12<sup>th</sup> March 2024

### Recruitment Notice

The Chairpersons  
All Major Port Authorities

*Sir/Madam,*

**Sub: Filling up the post of Railway Manager in the pay scale of Rs. 80000-220000 under Composite method in Mumbai Port Authority - Reg.**

.....

1. The post of Railway Manager in Mumbai Port Authority fell vacant from 25.1.2024. The post is to be filled by **absorption through composite method** from officers of Major Ports, fulfilling the eligibility criteria as mentioned at **Annexure I**.
2. The selection is by merit for which overall grading in the APARs should not be below "Very Good".
3. **Applications are invited from eligible and willing officers** of all the Major Port Authorities possessing the prescribed qualifications and experience as mentioned at **Annexure I**. The application shall be submitted through '**Online Application Portal (OAP)**' of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (website <http://onlinevacancy.shipmin.nic.in>) from **15.3.2024 to 14.4.2024**. No application submitted other than OAP will be accepted.
4. The candidate has to submit the hard-copy of the application form uploaded in OAP to his administrative Port for onward forwarding to MbPA.
5. The administrative Ports are required to forward the applications of the candidates superscribing "**Application for the post of Railway Manager in Mumbai Port Authority**" **on or before 29.4.2024**, along with the following documents:

- (i) *certified copies of APARs for the last 5 years (2018-19 to 2022-23), duly attested by an officer not below the rank of Dy. HOD on each of the pages;*
- (ii) *a statement showing year-wise availability of APARs and grading duly signed by the HOD/Secretary. If APAR for a particular year during the last 5 years is not available, "No Report Certificate" may be furnished, along with APARs of the preceding years;*
- (iii) *Attested photocopies of all certificates and proof of educational qualification, present and past work experience in the respective post and pay scale.*
- (iv) *No objection certificate from the respective Port.*
- (v) *Undertaking of the applicant that he will not withdraw his candidature, if selected by Services Selection Committee;*
- (vi) *Administrative clearance of the concerned port (Annexure II)*
- (vii) *Vigilance report is to be furnished in the prescribed format (Annexure III).*
- (viii) *If any major or minor penalty has been imposed on the applicant during the last 10 years, the disciplinary case leading to such penalty along with necessary documents may be sent along with the application.*
- (ix) *Two passport size photographs.*

6. As per the Ministry's circular No. A-29018/4/2081/PE-I dated 11.8.2021, in case of receipt of advance copy of application from any candidate, his candidature will not be considered if his application is not received through proper channel from the Port within 15 days of the last date of receipt of applications. Therefore, Major Ports are requested to forward the applications with complete set of enclosures on or before 29.4.2024. Applications received after 29.4.2024 will not be considered.


7. While forwarding the application, the Major Ports are to enclose all relevant documents at a time. No piecemeal / part forwarding will be considered.

8. The crucial date for eligibility criteria will be the last date of closing of applications, i.e. 14.4.2024 in terms of Ministry of Ports, Shipping and Waterways' circular No. A-29018/4/2081/PE-I dated 11.8.2021.

9. As per the Ministry's guidelines dated 11.8.2021 regarding filling up the Dy. HoD level posts in Major Port Authorities, Port official who withdraws his candidature for the post after his selection by the Services Selection Committee, will be liable for debarment from future selection to Dy. HoD level posts in all Major Port Authorities for a period of two years.

10. Incomplete applications or applications received after due date will not be considered.

Yours faithfully,



(G.S. Rathod)

MANAGER (HR)

MUMBAI PORT AUTHORITY

Encl: As above

-----  
COPY TO:

- 1) **The Secretary to the Government of India,  
Ministry of Ports, Shipping & Waterways,  
New Delhi for information.**  
Soft copy of the circular is already forwarded  
on email address :  
pravin.s@nic.in and web-ship@gov.in.

[Kind Attn: Shri P.K. Roy,  
Director (PHRD)]

- 2) **Jt. Director - ..... - to host in website**

## Annexure I

| Sl. No. | Name of the Post | No. of Post | Classification | Scale of Pay (Rs.)         | Whether Selection or Non-Selection | Upper Age limit for direct recruitment (in years) | Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment   | Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion absorption/deputation | Period of Probation (in years) | Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation/)   | In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made  | Remarks |
|---------|------------------|-------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------|--|--|---------|
| 1       | 2                | 3           | 4              | 5                          | 6                                  | 7   | 8  | 9   | 10                             | 11   | 12   | 13      |
| 68      | Railway Manager  | 1           | I              | Class-I<br>16000-400-20800 | Selection                          | 42  | Essential :-<br>(i) A degree from a recognised university.<br><br>(ii) Twelve years executive experience in shipping/cargo operations/ railway transportation in executive cadre in a industrial/ commercial/ Govt. undertaking. | (a) No<br>(b) Yes<br>(c) No   | N.A.                           | By absorption through composite method failing which<br><br>By deputation from other Govt. organizations and failing both<br><br>By direct recruitment | For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Dy. Railway Manager and equivalent posts in the respective discipline of Traffic Deptt. in the scale of pay of Rs.13000-18250 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Dy. Railway Manager and equivalent post in the respective discipline of Traffic department with 2 years regular service in the grade and a combined service of 7 years in the scales of pay of Rs.10750-16750 and Rs.13000-18250 in the respective discipline of Traffic Dept. will be eligible.<br><br>For deputation Officers holding analogous posts or holding posts of Dy. Railway Manager and equivalent posts in the respective discipline of Traffic Deptt. in the scale of pay of Rs.13000-18250 In Govt./SemiGovt. /PSUs or Autonomous bodies with 3 years regular service will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACR will not be below "Very Good". |         |

ANNEXURE II

Certificate to be given by Head of Department of

Shri/Smt. \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

1. It is certified that the particulars furnished by the officer are correct.
2. It is certified that no disciplinary/vigilance case is pending or contemplated against the applicant and he/she is clear from Vigilance and Administrative angle.
3. His/Her integrity is certified.
4. It is certified that no major/minor penalties have been imposed on the applicant during the last 10 years. If any, kindly indicate details thereof.
5. Attested copies of ACRs for the last five years (1.4.2018 to 31.3.2023) are enclosed.
6. It is certified that the incumbent meets the requisite eligibility criteria w.r.t. educational qualification and experience as specified in the Annexure I of the circular for absorption through composite method.

SIGNATURE OF THE  
HEAD OF DEPARTMENT WITH SEAL



**MUMBAI PORT AUTHORITY**

**Particulars of the officer for whom Vigilance Comments/Status has been sought**

|   |   |   |          |
|---|---|---|----------|
| 1 | Name of Officer (in full)                                       | : |          |
| 2 | Father's name   | : |          |
| 3 | Date of Birth   | : |          |
| 4 | Date of Retirement  | : |          |
| 5 | Date of entry into service                                      | : |          |
| 6 | Service to which the officer belongs wherever applicable        | : |          |
| 7 | Revised Payscale  | : |          |
| 8 | Whether Annual Property Return (APR) has been submitted in time | : | Yes / No |
| 9 | Date of submission of APR                                       | : |          |

**10 Positions held including whether the officer has functioned as a CVO in part time or additional charge capacity (During the ten preceding years)**

| Sl. No. | Organization (Name in full) | Designation and Place of posting | Administrative/ Nodal Ministry/ Deptt. | From | To |
|---------|-----------------------------|----------------------------------|--|------|----|
|         |                             |                                  |  |      |    |
|         |                             |                                  |  |      |    |
|         |                             |                                  |  |      |    |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 11 | Whether any punishment was awarded to the officer during the last 10 years and if so, the date of imposition and details of the penalty. (*)  | : |  |
| 12 | Is any disciplinary / criminal proceedings or Chargesheet pending against the officer as on date (If so, details to be furnished – including reference number if any of the commission) | : |  |
| 13 | Is any action contemplated against the officer as on date (If so details to be furnished) (*)   | : |  |
| 14 | Whether any complaint with vigilance angle pending against the officer as on date (If yes, details to be furnished)   | : |  |

Date:

(Signature of Head of Department)

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 15 | Whether the officer has been placed on the "Agreed List" or "List of Officers of Doubtful Integrity". (If yes details to be given)                       | : |  |
| 16 | Whether any allegation of misconduct involving vigilance angle was examined against the officer during the last 10 years and if so, with what result (*) | : |  |

The applied post being Selection post at the level of Head of Department, the officer is Clear/not clear from vigilance angle as per the guidelines of DoPT/CVC issued from time to time.

Date :

**CHIEF VIGILANCE OFFICER**

(\*) If vigilance clearance had been obtained from the Ministry/CVC in the past, the information may be provided for the period thereafter.

फोन/Phone: 91-22-6656 5656

ई-मेल/Email: manager.hr@mumbaiport.gov.in

वेबसाइट/Website: www.mumbaiport.gov.in



मुंबई पत्तन प्राधिकरण  
Mumbai Port Authority

सामान्य प्रशासन विभाग

पोर्ट भवन, दूसरा माला

शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलाई इस्टेट,

मुंबई - 400 001.

General Administration  
Department,

Port House, 2<sup>nd</sup> floor,

S.V. Marg, Ballard Estate,

MUMBAI - 400 001.



भारत 2023 INDIA  
संयुक्त राष्ट्रसंघ  
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE



GLOBAL MARITIME  
INDIA SUMMIT 2023  
17th - 19th October | Port House, Mumbai  
CONNECT | COLLABORATE | CREATE



सं.सा.प्र.वि/पी/भर्ती-रे. प्र./1024

(2<sup>th</sup> मार्च 2024)

## भर्ती सूचना

अध्यक्ष

सभी महापत्तन प्राधिकरण

महोदय/ महोदया,

विषय : मुंबई पत्तन प्राधिकरण में संयुक्त पद्धति से विलयन द्वारा रु. 80000-220000 के वेतनमान में रेल प्रबंधक का पद को भरना-संबंधी.

मुंबई पत्तन प्राधिकरण में रेल प्रबंधक का पद दि. 25.1.2024 से रिक्त हुआ. यह पद संयुक्त पद्धति से विलयन द्वारा महा पत्तन प्राधिकरणों से अधिकारियों का समावेश करके भरा जाना है, जिसके लिए आवश्यक पात्रता मानदंड अनुलग्नक- I में है.

2. चयन प्रक्रिया योग्यता के अनुसार होगी, जिसके लिए एपीएआर में समग्र ग्रेडिंग "वेरी गुड" से कम नहीं होनी चाहिए.

3. अनुलग्नक- I के अनुसार निर्धारित योग्यता, अनुभव के धारक सभी महा पत्तन प्राधिकरणों के पात्र और इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. आवेदन 15.3.2024 से 14.4.2024 तक पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय (वेबसाइट <http://onlinevacancy.shipmin.nic.in>) के "ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)" के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है. ओएपी के अलावा कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

4. उम्मीदवार को ओएपी में अपलोड किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने प्रशासनिक पोर्ट के पास मुं.प. प्रा. को अग्रेषित करने हेतु प्रस्तुत करना होगा.

5. प्रशासनिक पत्तनों को दिनांक 29.4.2024 को या उससे पहले उम्मीदवारों के आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ लिफाफे में भरकर लिफाफे पर "मुंबई पत्तन प्राधिकरण में रेल प्रबंधक के पद के लिए आवेदन" इस प्रकार लिखकर अग्रेषित करने होंगे:

- (i) पिछले 5 वर्षों की (2018-19 से 2022-23 तक) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियाँ, उप विभाग प्रमुख स्तर के अधिकारी द्वारा हर एक पन्ने पर विधिवत प्रमाणित करके;
- (ii) वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की वर्षवार उपलब्धता तथा श्रेणीकरण दर्शानेवाला विवरण विभाग प्रमुख/सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो. पिछले पाँच वर्षों में से यदि किसी विशिष्ट वर्ष/अवधि की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध न हो, तो उसके बारे में "रिपोर्ट नहीं है प्रमाणपत्र" पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत किया जाए;
- (iii) संबंधित पद एवं वेतनमान के लिए सभी प्रमाणपत्रों की सत्यापित फोटोकॉपीयाँ तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र और वर्तमान तथा पिछले कार्य का अनुभव प्रमाणित करना आवश्यक है.
- (iv) संबंधित पोर्ट द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र.
- (v) आवेदक को इस आशय का प्रतिज्ञापत्र देना होगा कि यदि सेवा चयन समिति द्वारा चयन किया गया, तो उम्मीदवारी वापस नहीं ली जाएगी, तथा
- (vi) संबंधित पोर्ट की प्रशासनिक अनापत्ति (अनुलग्नक II);
- (vii) निर्धारित प्रपत्र में सतर्कता रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए (अनुलग्नक III)
- (viii) यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा या मामूली दण्ड लगाया गया हो, तो ऐसे दण्ड की और ले जानेवाली अनुशासनिक मामले के साथ आवश्यक कागजात भी आवेदन के साथ भेजा जाए.
- (ix) दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ

6. पोर्ट द्वारा किसी भी आवेदक के संबंध में आवेदन की अग्रिम प्रति प्राप्त होने के मामले में मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के परिपत्र सं. ए. 29018/4/2081/ पीई-1 के अनुसार यदि उसका आवेदन पोर्ट द्वारा उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के 15 दिनों के भीतर तक प्राप्त नहीं हुआ तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा. अतः महापत्तनों से अनुरोध है कि वे **29.4.2024** को या उससे पहले संलग्नकों के पूरे सेट के साथ आवेदनों को अग्रेषित करें. **29.4.2024 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.**

7. आवेदन को अग्रेषित करते समय, महापत्तनों को सभी संगत कागजातों को एक ही समय में संलग्न करके भेजना होगा. कोई भी आधे-अधूरे/अंश भाग के अग्रेषण पर विचार नहीं किया जाएगा.

8. पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 की पत्र सं.ए-29018/4/2081/पीई-1 के संदर्भ में पात्रता मानदण्ड के लिए निर्णायक तिथि **14.4.2024** होगी.


9. मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार महा पत्तन प्राधिकरणों में उप विभाग प्रमुख स्तर के पदों को भरने के संबंध में, पोर्ट अधिकारी यदि सेवा चयन समिति द्वारा अपने चयन के बाद पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेता है तो वह भविष्य में दो वर्षों के लिए सभी महा पत्तन प्राधिकरणों में उप विभाग प्रमुख स्तर के पदों के चयन के मामले में रोक के लिए उत्तरदायी होगा.



10. नियत तिथि के पश्चात या अपूर्ण आवेदनों का विचार नहीं किया जायेगा.

संलग्न. यथोक्त.

भवदीय,

  
(गि. सिं. राठोड)

प्रबंधक( मा.सं.)

मुंबई पत्तन प्राधिकरण

प्रतिलिपि

- 1) सचिव, भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन  
तथा जलमार्ग मंत्रालय,  
नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित  
परिपत्र की सॉफ्ट कॉपी पहले ही ईमेल पता:  
[pravin.s@nic.in](mailto:pravin.s@nic.in) and [web-ship@gov.in](mailto:web-ship@gov.in).  
पर अग्रेषित की गई है.

(ध्यानाकर्षण: श्री पी. के. रॉय  
निदेशक, पीएचआरडी)

- 2) संयुक्त निदेशक को वेबसाईट पर डालने के लिए प्रेषित

| 1  | 2           | 3 | 4          | 5               | 6   | 7       | 8  | 9                            | 10        | 11  | 12   | 13 |
|----|-------------|---|------------|-----------------|-----|---------|--|------------------------------|-----------|---|--|----|
| 68 | रेल प्रबंधक | 1 | श्रेणी - I | 16000-400-20800 | ायन | 42 वर्ष | <p><b>अनिवार्य :</b></p> <p>i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पदवी</p> <p>ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में कार्यकारी संवर्ग में पोत परिवहन/रेलवे यातायात/माल प्रालन में 12 वर्षों का कार्यकारी अनुभव</p> | क) नहीं<br>ख) हाँ<br>ग) नहीं | लागू नहीं | <p>संयुक्त पध्दति द्वारा विलयन से अथवा अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति से दोनों नहीं होने पर सीधी भर्ती द्वारा</p> | <p>महा पत्तन न्यास में तत्समान पद पर कार्य कर रहे अधिकारी अथवा यातायात विभाग के संबद्ध क्षेत्र में 13000-18250 रुपये वेतनमान में 3 वर्ष से नियमित सेवा कर रहे उप रेलवे प्रबंधक अथवा समकक्ष पर के अधिकारी अथवा यातायात विभाग के संबद्ध क्षेत्र में 2 वर्ष से नियमित कार्य कर रहे और यातायात विभाग के संबद्ध क्षेत्र में 10750-16750 वेतनमान और 13000-18250 रुपये के वेतनमान में संयुक्त रूप से 7 वर्ष से कार्य कर रहे उप रेल प्रबंधक और समकक्ष पद के अधिकारी संयुक्त पध्दति से विलयन के योग्य है.</p> <p>सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में तत्समान पद पर कार्य कर रहे अधिकारी अथवा यातायात विभाग के संबद्ध क्षेत्र में 13000-18250 रुपये वेतनमान में 3 वर्ष से कार्य कर रहे उप रेल प्रबंधक और समकक्ष पद के अधिकारी प्रतिनियुक्ति के योग्य है. ायन गुणवत्ता के आधार पर होगा उसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में बेंचमार्क की सम्पूर्ण प्रेडिंग "बहुत अच्छा" होना आवश्यक है.</p> |    |

विभाग प्रमुख द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती -----

पद -----

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है.
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और वे/वह सतर्कता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्दोष है.
3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है.
4. यह प्रमाणित है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा/मामूली दण्ड नहीं लगाया गया है. यदि कोई हो तो कृपया उसका विवरण दें.
5. पिछले पांच वर्षों (1.4.2018 से 31.3.2023) के लिए एसीआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं.
6. यह प्रमाणित है कि पदग्राही समग्र योग्यता के माध्यम से मिश्रित पध्दति से भर्ती के परिपत्रक के अनुलग्नक -I में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि अपेक्षित पात्रता मानदण्डों को पूरा करता है.

विभाग प्रमुख का हस्ताक्षर मोहर (सील) के साथ

## मुंबई पत्तन प्राधिकरण

## MUMBAI PORT AUTHORITY

अधिकारी का विवरण, जिनके सतर्कता टिप्पणियाँ/स्थिति मांगी गई है.

|     |  |   |          |
|-----|--|---|----------|
| 1.  | अधिकारी का नाम (संपूर्ण)   | : |          |
| 2.  | पिता का नाम  | : |          |
| 3.  | जन्म तिथि  | : |          |
| 4.  | सेवा निवृत्ति की तिथि  | : |          |
| 5.  | सेवा प्रवेश की तिथि  | : |          |
| 6.  | अधिकारी के सेवा से संबंधित वर्ग/वर्ष, संवर्ग आदि जो भी लागू है   | : |          |
| 7.  | संशोधित वेतनमान  | : |          |
| 8.  | क्या वार्षिक संपत्ति विवरणी (Annual Property Returns (APR) वक्त पर प्रस्तुत की है  | : | हाँ/नहीं |
| 9.  | वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि   | : |          |
| 10. | धारण किए गए पद में अधिकारी ने अंशकालिक या अतिरिक्त प्रभार में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य किया यह शामिल है (पिछले दस वर्षों के दौरान) | : |          |

| अ.क्र. | संगठन (संपूर्ण नाम) | पदनाम एवं नियुक्ति का स्थान | संबंधित प्रशासनिक/प्रधान मंत्रालय/विभाग | द्वारा | तक |
|--------|---------------------|-----------------------------|---|--------|----|
|        |                     |                             |   |        |    |
|        |                     |                             |   |        |    |

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 11. | क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई सजा दी गई थी, और यदि हाँ, तो आरोप लगाने की तिथि और दण्ड का विवरण(*).  | : |  |
| 12. | क्या आज की तिथि को अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही या चार्जशीट लंबित है (यदि हाँ, तो आयोग द्वारा यदि कोई संदर्भ संख्या तो तिथि के अनुसार दी गई हो उसके साथ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.) | : |  |
| 13. | क्या अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की गई है (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)   | : |  |
| 14. | क्या सतर्कता की दृष्टि से अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई शिकारयत लंबित है (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)   | : |  |

तिथि :

(विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर)

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 15. | यदि अधिकारी को "सहमत सूची" अथवा "संदिग्ध इमानदारी के अधिकारियों की सूची" पर रखा गया (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए)     | : |  |
| 16. | यदि सतर्कता की दृष्टि से पिछले 10 वर्षों में अधिकारी के खिलाफ दुराचार का आरोप की जाँच की गयी थी. यदि हाँ तो उसका परिणाम क्या है. (*). | : |  |

आवेदित पद विभाग प्रमुख के स्तर का चयन पद होने के कारण, उक्त अधिकारी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग/ केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार, सतर्कता दृष्टि से निर्बाध है/ निर्बाध नहीं है.

तिथि :

(मुख्य सतर्कता अधिकारी)

(\* ) यदि अतीत में मंत्रालय/सीवीसी से सतर्कता मंजूरी प्राप्त की गई थी तो उसके बाद की अवधिके लिए जानकारी प्रदान की जा सकती है.